

संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, दुमका

॥ प्रकाशन सूचना ॥

दिनांक-28.03.2018 को संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आहूत की गयी है। उक्त के निमित्त ऑफ-लाईन स्थायी परमिट हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में बस परिचालकों को सूचित किया जाता है कि अर्चना कुमारी, केवटपाड़ा पुराना दुमका, दुमका से गोड्डा भाया नोनीहाट, हंसडीहा, पोडैया मार्ग पर सवारी मोटर यान संख्या-JH04P-2335 मोडल-2017 प्रकार बस को परिचालित करने हेतु स्थायी परमिट/अस्थायी परमिट/मार्ग विस्तार/संशोधन/नवीकरण हेतु प्रस्तावित समय सारणी के साथ आवेदन दिया गया है। जिसे कार्यालय नोटीश बोर्ड पर प्रकाशित करते हुए आपति आमंत्रित की जाती है। यदि किसी परिचालक को कोई आपति हो तो सूचना निर्गत तिथि से 07 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में विहित शुल्क के साथ अपने समय सारणी के साथ आपति दाखिल कर सकते हैं।

1. आपतिकर्ता अपना आवेदन सारगर्भित एवं आत्मभारित दें।
2. समय सीमा के बाद प्राप्त आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आपति आवेदन के साथ समय सारणी की छाया प्रति नहीं रहने पर आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रस्तावित समय सारणी

M.P	01.30	07	गोड्डा
M.P	03.40	07	गोड्डा
M.P	03.47	07	
M.P	04.10	07	गोड्डा
M.P	04.23	07	
M.P	04.45	07	गोड्डा

M.A	11.43	07	गोड्डा
M.P	08.30	07	गोड्डा
M.P	12.35	07	
M.P	01.00	07	गोड्डा
M.P	01.12	07	
M.P	01.30	07	गोड्डा
M.P	01.55	07	

ज्ञापांक..... 386 / परि0 दिनांक..... 14.6.18

प्रतिलिपि-कार्यालय सूचनापट एवं रक्षी सचिका में चिपकाने हेतु।

उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव
संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
दुमका।

प्रस्तावित संशोधित समय-सारिणी

मार्ग दुमका से गोड्डा भाया- हँसडीहा, नोनीहाट, पोड़ैया

JH -04 P - 2335

दुमका	प्र०	05.54	A.M
नोनीहाट	आ०	06.45	A.M
	प्र०	06.50	A.M
हँसडीहा	आ०	07.20	A.M
	प्र०	07.28	A.M
पोड़ैया	आ०	7.50	A.M
	प्र०	07.55	A.M
गोड्डा	आ०	08.25	A.M

गोड्डा	प्र०	08.39	A.M
पोड़ैया	आ०	09.05	A.M
	प्र०	09.10	A.M
हँसडीहा	आ०	09.35	A.M
	प्र०	09.50	A.M
नोनीहाट	आ०	10.10	A.M
	प्र०	10.15	A.M
दुमका	आ०	11.05	A.M

दुमका	प्र०	11.43	A.M
नोनीहाट	आ०	12.30	P.M
	प्र०	12.35	P.M
हँसडीहा	आ०	01.00	P.M
	प्र०	01.12	P.M
पोड़ैया	आ०	01.30	P.M
	प्र०	01.35	P.M
गोड्डा	आ०	02.10	P.M

गोड्डा	प्र०	03.10	P.M
पोड़ैया	आ०	03.40	P.M
	प्र०	03.47	P.M
हँसडीहा	आ०	04.10	P.M
	प्र०	04.22	P.M
नोनीहाट	आ०	04.45	P.M
	प्र०	04.50	P.M
दुमका	आ०	05.40	P.M

अर्चना कुमारी

संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, दुमका

॥ प्रकाशन सूचना ॥

दिनांक-28.03.2018 को संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आहूत की गयी है। उक्त के निमित्त ऑफ-लाईन स्थायी परमिट हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में बस परिचालकों को सूचित किया जाता है कि सलिख हसन अंसारी, हजारीबाग मार्ग- हजारीबाग से देवघर भाया- बगोदर, डुमरी, गिरिडीह, बुढई, देवीपुर, जसीडीह मार्ग पर सवारी मोटर यान संख्या-JH02AD-4897 मोडल-2014 प्रकार बस को परिचालित करने हेतु ~~स्थायी परमिट/अस्थायी परमिट/मार्ग विस्तार/संशोधन/नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर~~ हेतु प्रस्तावित समय सारणी के साथ आवेदन दिया गया है। जिसे कार्यालय नोटीश बोर्ड पर प्रकाशित करते हुए आपति आमंत्रित की जाती है। यदि किसी परिचालक को कोई आपति हो तो सूचना निर्गत तिथि से 07 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में विहित शुल्क के साथ अपने समय सारणी के साथ आपति दाखिल कर सकते है।

1. आपतिकर्ता अपना आवेदन सारगर्भित एवं आत्मभारित दें।
2. समय सीमा के बाद प्राप्त आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आपति आवेदन के साथ समय सारणी की छाया प्रति नहीं रहने पर आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रस्तावित समय सारणी

ज्ञापांक.....385/परि0 दिनांक.....14.06.18

प्रतिलिपि-कार्यालय सूचनापट
एवं रक्षी संचिका में चिपकाने हेतु।

उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव
संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
दुमका।

7

23. मोटरगाडी नियमावली के नियम 123 के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्वस्थ एवं व्यवसायिक सामग्री लाद कर सवार यात्रियों को असुविधा नहीं है।
24. श्व, बीमार या सक्रामक रोग से ग्रस्त यात्री होने के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 124 के प्रावधानों का पालन करना है।
25. गाडी के विलत प्रदत्त रहने पर मोटर गाडी अधि०की धारा 51 के प्रावधानों का पालन करना है।
26. मोटर गाडी अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत बस चालक को कार्यकाल दिन घण्टा, एक सप्ताह में 48घण्टा और लगातार 5 घण्टा के बाद आधा घण्टा विश्राम निर्धारित है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना है।
27. आवश्यकतानुसार बस से पोस्टल डाक ढोने की व्यवस्था करनी है।
28. परमिट धारी को अनुज्ञप्तिधारी टिकट विक्रेता से ही कार्य लेना है। मोटरगाडी नियमावली 1992 के नियम 101 के अनुसार टिकट विक्रेता के नाम पता का प्राधिकार को देता है।
29. निर्धारित मार्ग एवं समय सारिणी पर ही गाडी चलेगी और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर परमिट रद्द/निलंबित करने की कार्यवाही प्राधिकार द्वारा की जायेगी।
30. समय सारिणी:

Provisional Timing

For the route of Hazaribag to Deoghar one trip each way daily, of Sri Salih Hassan Ansari, for Bus No. JH- 02 AD- 4897.

Route	Arr.	Dep.	Route	Arr.	Dep.
Hazaribag	...	5.36 AM	Deoghar	..	11.34 AM
Bishnugarh	6.37 AM	6.43 "	Jasidih	11.53 AM	11.58 "
Bagodar	6.51 "	6.59 "	Deviour	12.24 PM	12.29 PM
Dumari	7.21 "	...	Burhey	12.48 "	12.53 "
Giridih	8.45 "	9.11 "	Bengabad	1.28 "	1.37 "
Burhey	9.37 ✓	9.42 ✓	Giridih	2.00 "	2.15 "
Bengabad	10.17	10.20 "	Dumari	3.15 "	3.18 "
Burhey	10.33 "	10.36 "	Bagodar	4.10 "	4.17 "
Deviour	10.46 "	10.49 "	Bishnugarh	4.29 "	4.47 "
Jasidih	10.57 "	...	Hazaribag	5.27 "	...
Deoghar					

The permit shall be valid in concern region after counter signature



Secretary, N.C.N.R.T.C., Hazaribag.

संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, दुमका

॥ प्रकाशन सूचना ॥

दिनांक-28.03.2018 को संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आहूत की गयी है। उक्त के निमित्त ऑफ-लाईन स्थायी परमिट हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में बस परिचालकों को सूचित किया जाता है कि सुबल महतो, भलजोरिया, निरसा, धनबाद मार्ग- गोमिया से दुमका भाया बोकारो, चास, धनबाद, जामताड़ा, पालोजोरी मार्ग पर सवारी मोटर यान संख्या-JH10BD-9083 मोडल-2016 प्रकार बस को परिचालित करने हेतु ~~स्थायी परमिट/अस्थायी परमिट/मार्ग विस्तार/संशोधन/नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर~~ हेतु प्रस्तावित समय सारणी के साथ आवेदन दिया गया है। जिसे कार्यालय नोटीश बोर्ड पर प्रकाशित करते हुए आपति आमंत्रित की जाती है। यदि किसी परिचालक को कोई आपति हो तो सूचना निर्गत तिथि से 07 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में विहित शुल्क के साथ अपने समय सारणी के साथ आपति दाखिल कर सकते हैं।

1. आपतिकर्ता अपना आवेदन सारगर्भित एवं आत्मभारित दें।
2. समय सीमा के बाद प्राप्त आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आपति आवेदन के साथ समय सारणी की छाया प्रति नहीं रहने पर आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रस्तावित समय सारणी

From	To	Time	Time
Palaspur	03:30 Hrs.	03:30 Hrs.	03:30 Hrs.
Jamara	04:30 Hrs.	04:30 Hrs.	04:30 Hrs.
Dhanbad	05:30 Hrs.	05:30 Hrs.	05:30 Hrs.
Chas	06:30 Hrs.	06:30 Hrs.	06:30 Hrs.
Bokaro	07:30 Hrs.	07:30 Hrs.	07:30 Hrs.
Gomia	08:30 Hrs.	08:30 Hrs.	08:30 Hrs.

ज्ञापांक.....384...../परि० दिनांक.....14.06.18.....

प्रतिलिपि-कार्यालय सूचनापट
एवं रक्षी संचिका में चिपकाने हेतु।

उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव
संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
दुमका।

Government of Jharkhand
OFFICE OF NORTH CHHOTANAGPUR
REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY
 HAZARIBAG (JHARKHAND)

16

RTA -

27/2018


dated: - 13-3-2018

Name of Permit Holder : **SUBAL MAHTO**
 Route : **Gomia - DUMKA Via Bokaro, Chas, Dhanbad, Jamtara, Palajori**
 Permit No. : **SC-PSTS-0016/18(HZB)**
 Vehicle No. : **JH10BD9083**

Up			Down		
Route	Arrival	Departure	Route	Arrival	Departure
Gomia	03:00 Hrs.	DUMKA	11:00 Hrs.
Bokaro	03:30 Hrs.	03:40 Hrs.	Palajori	12:15 Hrs.	12:25 Hrs.
Chas	04:25 Hrs.	04:30 Hrs.	Jamtara	13:45 Hrs.	13:55 Hrs.
Dhanbad	05:00 Hrs.	05:20 Hrs.	Dhanbad	16:01 Hrs.	16:10 Hrs.
Jamtara	07:50 Hrs.	08:00 Hrs.	Chas	16:40 Hrs.	16:45 Hrs.
Palajori	09:10 Hrs.	09:15 Hrs.	Bokaro	17:30 Hrs.	17:40 Hrs.
DUMKA	10:15 Hrs.	Gomia	18:05 Hrs.

This permit shall be valid in concern region of counter signature




Secretary
NORTH CHHOTANAGPUR
REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY
HAZARIBAG (JHARKHAND)

प्रमाणित - २७ - २०१८
 प्रकृतिगत स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रकृतिगत अधिकारी को सूचित किया जा रहा है।
 १। कलकत्ता